मूल वाद में अन्तिम डिक्री
बमुकद में ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– जय कौशिक (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 12/2022
वाद पत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए.

गुरजन्टसिंह पुत्र सरदारासिंह जाति जटसिख निवासी चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
–वादी

बनाम

1. जगतारसिंह पुत्र गुरदयालसिंह जाति जटसिख सा.चक प्रतापनगर तह.संगरिया।
2. नरसिंह पुत्र जवंदासिंह जाति जटसिख सा.चक प्रतापनगर तह.संगरिया।
3. नुपासिंह पुत्र जवंदासिंह जाति जटसिख सा.चक प्रतापनगर तह.संगरिया।
4/1. गगनदीपसिंह पुत्र स्वरूपसिंह जाति जटसिख निवासी मुण्डा तहसील हनुमानगढ़
5. काकी पुत्री जवंदासिंह जाति जटसिख निवासी वजीतपुरा भोमा तहसील अबोहर
6/1. कुलजीतसिंह
6/2. मस्सासिह उर्फ अमनदीपसिंह पि. भूपसिंह जाति जटसिख नि. मुण्डा तहसील हनुमानगढ़
7. बुटासिंह पुंत्र जवंदासिंह जाति जटसिख सा.चक प्रतापनगर तह.संगरिया।
8. सोहनसिंह
9. आत्मासिंह पि. मुकन्दसिंह
10. नायबसिंह पुत्र सरजासिंह — जाति जटसिख सांकिन चक प्रतापनगर तह.संगरिया
11. मखनसिंह
12. हरबन्शसिंह पि. भागसिंह उर्फ भंगासिंह
13. गुरेन्द्रसिंह पुत्र हरमन्द्रसिंह जाति जटसिख सा. चक प्रतापनगर तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
14. अमनदीपसिंह पुत्र महमासिंह
15. मनजीतकौर पत्नी महमासिंह जाति जटसिख नि.नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
16. तहसीलदार राजस्व संगरिया

–प्रतिवादीगण

दिनांक :– 12-01-2026

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री भीम सिह छिम्पा वकील वादी मिन जानिब मुदई श्री संजीव बिश्नोई वकील प्रति.सं. 2,8,9 श्री प्रेम भारद्वाज वकील प्रति.सं. 3, 4/1, 6/1, 6/2, 7 श्री प्रमोद डेलू वकील प्रति.सं. 10, 11 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:–

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

नाम काश्तकार मय वल्दियत एवं सकूनात	चक का नाम खातों का विवरण	वर्तमान में कब्जा काश्त अनुसार काश्तकार का नाम	कब्जा काश्त अनुसार रकबा
गुरजण्ट सिंह पुत्र सरदारा सिंह 0.260 हि. जाति जट सिख निवासी चक प्रतापनगर	प.मं. मोरजण्ड सिखान के 7 एमजेडी के खाता सं. 4/11 खाते का योग– 5.185 हि. (विवादित श्रेणी का है)	गुरजण्ट सिंह पुत्र सरदारा सिंह 0.260 हि. जाति जट सिंख निवासी चक प्रतापनगर	प.न. 152/179 मु.न. 46 का कि.न. 15/1/0.126, 15/2/0.025 गै.मु .खाला प.न. 153/179 मु.न. 47 का कि.न. 7 ता 14/2.024 कुल–2.175 हेक.
मखन सिंह पुत्र भाग सिंह उर्फ भंगा सिंह 1.317 हि. राहिन बीओबी शाखा संगरिया जाति जट सिख निवासी चक प्रतापनगर		मखन सिंह पुत्र भाग सिंह उर्फ भंगा सिंह राहिन बीओबी शाखा संगरिया जाति जट सिख निवासी चक प्रतापनगर	प.न. 152/179 मु.न. 46 का कि.न. 5/1/0.228, 5/2/0.025 गै.मु. खाला, 6/1/0.228, 6/2/0.025 गै.मु. खाला, 7/0.240,14/0.013 कुल–0.759 हेक.
नायब सिंह पुत्र सरजा सिंह 1.190 हि. जाति जट सिख निवासी प्रतापनगर		नायब सिंह पुत्र सरजा सिंह जाति जट सिख निवासी प्रतापनगर	प.न. 153/178 मु.न. 42 का कि.न. 22,23/0.506 प.न. 153/179 मु.न. 47 का कि.न. 1/1/0.228, 1/2/0.025 गै.मु. खाला, 2/1/0.228, 2/2/0.025 गै.मु. खाला, 3/1/0.228,3/2/0.025 गै.मु. खाला कुल–1.265 हेक.
अमनदीप सिंह पुत्र महमा सिंह 0.861 हि. मनजीत काकर पत्नि महमा सिंह 0.038 हि. गुरेन्द्र सिंह पुत्र हरमन्द्र सिंह 0.087 हि. जाति जट सिख नि. चक प्रतापनगर		अमनदीप सिंह पुत्र महमा सिंह 0.861 हि. मनजीत काकर पत्नि महमा सिंह 0.038 हि. गुरेन्द्र सिंह पुत्र हरमन्द्र सिंह 0.087 हि. जाति जट सिख निवासी चक प्रतापनगर	प.न. 153 मु.न. 47 का कि.न. 17,18/0.506, 19/0.177, 20/0.038, 23/0.063, 24/0.202 कुल– 0.986 हेक.

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी * रामगंजमंडी जिला कोटा *

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया या है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद नः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन ादेश आदि नही है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में कन् किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ. '2025/3076 दिनांक 28.07.2025 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। र्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। प्रश्नगत भूमि रेहन मुक्त होने के पश्चात ही नामान्तकरण र्ज किया जावे।

नोट :– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज...✗...मुब्लिक...✗...बाबत...✗...खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज ी तारीख से तारीख वसूलयाबी तक...✗...को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 12-01-2026 को खुले न्यायालय में ारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया